न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/214/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140004282022

निर्णय दिनांकः- 01.05.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 106/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**बलराम** पुत्र राजाराम मीणा उम्र 44 साल निवासी हरदेवगंज थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री त्रिलोकीनाथ योगी, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	05.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.06.2022
आरोप पत्र की तिथि	05.05.2022
आरोप के विरचना की तिथि	05.05.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	14.10.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	01.05.2026
निर्णय की तिथि	01.05.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**बलराम**	-	-	धारा 341, 323 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	डॉ गणेशलाल	इंजरी साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	भगवती शंकर	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	रामसहाय	स्वतंत्र साक्षी

अभियोजन साक्षी-4	अवतार सिंह	तहरीरी रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	सुरेश योगी	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	श्योजीलाल	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	कुशाल योगी	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	जगदीश प्रसाद	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	जसराम गुर्जर	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	महावीर	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी-11	नतिशा जाखड	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–2
3.	प्रदर्श पी-3	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–3
4.	प्रदर्श पी-4	रिपोर्ट	अभि. साक्षी–4
5.	प्रदर्श पी-5	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–4
6.	प्रदर्श पी-6	नक्शामौका	अभि. साक्षी–4
7.	प्रदर्श पी-7	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–5

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव फरियादी अवतार सिंह उर्फ सियाराम द्वारा उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 106/2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भा0द0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्ततः तथ्य यह हैं कि दिनांक 05.06.2022 को प्रार्थी लगभग समय 09.00 बजे करीब सुबह दुकान के सामने खडा था कि मुलजिम बलराम मीणा निवासी हरदेवगंज ने अपने ऑटो को तेज गति से चलाकर प्रार्थी अवतार सिंह के पैर पर ऑटो चड़ा दिया। ऑटो के रजिस्टर्ड नंबर आरजे08–पीए–5157 थे। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो मुलजिम ने ऑटो से सरिया निकाल कर प्रार्थी के पीछे हाथ में सरिये की मारी व पैर पर ऑटो चडाने से पैर पर चोट लगी। मारपीट के दौरान प्रार्थी ने अपनी आत्मरक्षा में बीच–बचाव किया तो मुलजिम के सिर में लगी घटना पर कुशाल योगी व महावीर गुर्जर मौजूद थे जिन्होंने बीच–बचाव किया...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323 भा0द0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 डॉ गणेशलाल, पी.ड02 भगवती शंकर, पी.ड03 रामसहाय, पी.ड04 अवतार सिंह उर्फ सियाराम, पी.ड05 सुरेश, पी.ड06 श्योजीलाल, पी.ड.07 कुशाल, पी.ड.08 जगदीश प्रसाद, पी.ड.09 जसराम, पी.ड.10 महावीर, पी.ड.11 नतीशा को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.07 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2022 को समय सुबह 09.00 बजे करीबन स्थान सुरेश योगी की दुकान के सामने इन्द्रगढ़ फरियादी को बिना किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध किया तथा फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियां कारित की ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 डॉ गणेशलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.06.2022 को सीएचसी इन्द्रगढ़ में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना इन्द्रगढ़ की तहरीर पर मजरूब सियाराम पुत्र अवतार सिंह, उम्र 32 वर्ष निवासी झीणा की चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। चोट 1. सूजन बाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर, चोट 2. खरोंच दायें हाथ की इन्डेक्स अंगुली पर, चोट 3. निलगू बाये कंधे के पुट्ठे पर कारित थी। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.01 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 अवतार सिंह उर्फ सियाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.06.2022 की बात है। सुबह नो बजे की बात है। माताजी के मंदिर के बाहर सुरेश कुमार योगी की दुकान पर काम करता हूं। तभी बलरात गलत साइड से ऑटो चलाकर के आया और उसके ऑटो का टायर पैर पर चढ़ा दिया। विरोध करने पर वह सरिये से मारपीट करने लगा। वहां कुशाल योगी व महावीर ने उसका बीच–बचाव कराया। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.05 व नक्शामौका प्रदर्श पी.06 है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 श्योजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दो–तीन साले पहले की बात है। सुरेश की दुकान के आगे बलराम का टैम्पो खडा था। सियाराम ने धक्का देकर टैम्पो को साईड में कर दिया। इस बात पर बलराम व सियाराम में आपस में लड़ाई हो गयी। घटना में सुरेश व अन्य व्यक्तियों ने बीच–बचाव कराया।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 कुशाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि तीन–साल पहले की बात है। तारीख मुझे याद नहीं है। वह अपने घर से दुकान पर उठकर आया तो उसे पता चला कि उसके दुकान पर काम करने वाले सियाराम व बलराम टैम्पो चालक के आपस में लड़ाई हो गयी थी। दोनों सुरेश योगी व दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने बीच–बचाव कराया था।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 जगदीश प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में एएसआई के पद पर तैनात था। परिवादी अवतार सिंह ने उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी.04 है। उक्त रिपोर्ट पर अनुसंधान वृत्ताधिकारी लाखेरी के जिम्मे किया।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 जसराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब दो–तीन साले पहले की बात है। पुलिस ने घ टनास्थल का नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी.06 पर ई से एफ हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 महावीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह मोहनपुरा का रहने वाला है। माताजी के सुरेश योगी की दुकान पर काम करता है। बलराम व सियाराम आपस में लड़ रहे थे, उसने बीच–बचाव कराया। झगडा ऑटो में सवारी को लेकर हुआ था। बलराम ने सियाराम के पैर पर ऑटो चढा दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.11 नतिशा जाखड ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2022 को वह लाखेरी वृताधिकारी के पद पर कार्यरत थी। मुलजिम 106/2022 की थाना इन्द्रगढ़ से अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। अनुसंधान में गवाहान महावीर, सुरेश, रामसहाय, श्योजी व कुशालसिंह, भगवती, अवतार सिंह के बयान लिये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम बलराम के विरुद्ध 323, 341 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित पाया गया।

17. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो** इस संबंध में पी.ड.01 डॉ0 गणेशलाल चिकित्सा अधिकारी ने अपने बयानों में कथन किया है कि मजरूबा सियाराम पुत्र अवतार सिंह के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया। जिनमें चोट संख्या 1 सूजन बाये हाथ की तर्जनी अंगूली पर, चोट 2. खरोंच दायें हाथ की इन्डेक्स अंगूली पर व चोट 3. निलगू बाये कंधे के पुट्ठे पर कारित होना बताया है। उक्त सभी चोटे साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होना बताया है एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.01 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कराये हैं। लेकिन उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त चोटें सख्त धरातल पर गिरने–पड़ने या आपस में गुत्थम–गुत्था होने पर आ सकती है एवं **फरियादी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में कुशाल योगी व महावीर गुर्जर के द्वारा बीच–बचाव किए जाने के संबंध में कथन किया है।** पी.ड.07 कुशाल योगी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मेरे सामने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे सामने कोई लड़ाई–झगडा नहीं हुआ इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किसने किसके साथ मारपीट की या चोट पहुंचायी।** यह कहना सही है कि मैंने तो लड़ाई–झगड़ा होते हुए देखा ही नहीं है एवं अन्य चक्षुदर्शी

साक्षी पी.ड.10 महावीर ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जब मैं सुरेश की दुकान पर झाड़ू निकाल रहा था, तब **बलराम व सियाराम के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा या मारपीट नहीं हुई थी, केवल मौखिक कहासुनी हो रही थी।** उसके बाद मैंने दोनों को वहां से भगा दिया था। उसके बाद दोनों के बीच में कब व कहा लड़ाई झगड़ा हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। **यह कहना सही है कि मेरे सामने दोनों के बीच मारपीट नहीं हुई।** ऐसें में उक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षी जो वक्त घटना फरियादी द्वारा बीच–बचाव किए जाने का कथन कर रहा है, तथ्यों की ताईद नहीं की गई है एवं परीक्षित अन्य गवाहों में पी.ड.02 भगवती शंकर ने कथन किया है कि मेरे सामने मारपीट नहीं हुई है व पी.ड. 03 रामसहाय ने कथन किया है कि अवतार सिंह उर्फ सियाराम के साथ मेरे सामने मारपीट नहीं हुई एवं पी.ड.05 सुरेश ने कथन किया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शामौका नहीं बनाया था। ऐसे में उक्त तीनों गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए है एवं अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद नहीं की गई है। **पी.ड.06 श्योजीलाल ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस समय लड़ाई झगडा हुआ उस समय में घटनास्थल पर नहीं था।** मैंने लडाई होते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किसने किसके किस हथियार से मारी थी। मुझे लड़ाई का कारण नहीं पता है। **ऐसे में उक्त परीक्षित सभी गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गई है** केवल मात्र फरियादी के द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद की गई है तथा इनके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने किसी गवाह को पेश करके परीक्षित नहीं कराया है जो अभियोजन कहानी की ताईद कर सकता हो। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

18. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2022 को समय सुबह 09.00 बजे करीबन स्थान सुरेश योगी की दुकान के सामने इन्द्रगढ़ फरियादी को बिना किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध किया तथा फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियां कारित की।

अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

19. परिणामस्वरूप **अभियुक्त बलराम पुत्र राजाराम मीणा उम्र 44 साल निवासी हरदेवगंज थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

20. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

21. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़